न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
पीठासीन- श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

प्रार्थना पत्र स० - 65/2020

1) देवी सिंह पुत्र श्री नाथुसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम सानकोटड़ा तहसील जमवारामगढ़
जिला- जयपुर (राजस्थान)

....प्रार्थी

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़
जिला- जयपुर (राजस्थान)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज
दुरुस्ती अन्तर्गत धारा
136 एल० आर० एक्ट

निर्णय दिनांक- 21/01/2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती का अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार रहे है कि ग्राम सानकोटड़ा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 199 खसरा 340 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा० 357 रकबा 0.65 हेक्टेयर में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है

प्रार्थी के पिता नाथुसिंह पुत्र केसरीसिंह के फौत होने पर विरासत का नामान्तरण संख्या 694 दिनांक 04/01/2013 को भवानीसिंह [illegible] पुत्रान नाथुसिंह के नाम दर्ज किया गया। और

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwa
Meena
Date: 2021.03.01 14:19:1
Reason: SelfAttested

(2)

देवी सिंह बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र सं० - 65/2020

उस समय प्रार्थी ने विरासत का नामान्तकरण का अमल राजस्व जमाबन्दी में किया गया। कि प्रमाणित जमाबन्दी दिनांक 24/01/2013 को पटवारी हल्का से प्राप्त की जिसमें प्रार्थी का नाम देवीसिंह सही दर्ज रिकॉर्ड है तथा हाल सैटलमेन्ट की कार्यवाही करते वक्त राजस्व कर्मचारियों ने संवत 2065 की जमाबन्दी में प्रार्थी देवीसिंह के बजाय प्रार्थी के दादाजी केसरीसिंह का नाम अंकित कर दिया जो गलत है। संवत 2058-2061 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सही अंकित है जिसे दुरुस्त करने का प्रार्थी अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम मानकोरखा तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या-190 खसरा नं० 340, 357 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9600 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है में केसरीसिंह पुत्र नाथूसिंह की जगह देवीसिंह पुत्र नाथूसिंह राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित कर, राजस्व जमाबन्दी को दुरुस्त किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की जारी की गई अप्रार्थी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक 263 दिनांक 14/12/20 के द्वारा जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि विवादित भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है 1/3 हिस्से में प्रार्थी के दादाजी के नाम दर्ज हो गया। दादाजी का विरासत का नामान्तकरण स० 654 व 693 में नाथू पुत्र केसरसिंह के बजाय भवानीसिंह, देवीसिंह, इन्द्रसिंह पि० नाथूसिंह के नाम दर्ज किया गया। जिसका अमल आधार वर्ष जमाबन्दी 2065-2068 के समय गलत दर्ज हो गया है अतः केसरीसिंह पुत्र नाथू के बजाय, देवी सिंह पुत्र नाथूसिंह किया जाना उचित है।

(signature)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.03.01 14:19:10 IST
Reason: SelfAttested

(3)

प्रार्थना पत्र संख्या - 65/2020
उनवान - देवीसिंह बनाम सरकार

प्रार्थी वकील व पेशकार सरकार की बहस सुनी गई

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है देवीसिंह पुत्र नाथुसिंह कि की बजाय केसरीसिंह पुत्र नाथु कर दिया गया जो दुरुस्ती योग्य है इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act को स्वीकार किया जाना उचित समझते है

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सानकोटडा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 150 ख० नं० 340, 357 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9600 हेक्टेयर में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा में केसरी सिंह पुत्र नाथु की जगह देवीसिंह पुत्र नाथु दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 21/01/2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.03.01 14:19:10 IST
Reason: SelfAttested